दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज
21-5-19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित [illegible] के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ जि[illegible] प० किया गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन [illegible] कि विवादित आराजियात की मौका रिपो[illegible] आवे। तहसीलदार मांडल को मौका रिपोर्ट [illegible] तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते मौका [illegible] देखने हेतु दिनांक 18-6-19 को पेश हो।
18-6-19	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 23-7-19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
23-7-19	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 13-8-19 को पेश हो।
13-8-19	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27-8-19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
27-8-19	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30-8-19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
30-8-19	पत्रावली दिनांक 30-8-19 को सहायक कलेक्टर मांडल फास्ट ट्रेक मे हस्तांतरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 30-8-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल,जिला-भीलवाड़ा
30-8-19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, तहसीलदार [illegible] से मौका रिपोर्ट [illegible]

19 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दुहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी स. 1804 व 1805 के दक्षिण की तरफ एव राजस्व नक्शे मे दर्शित तरमीम शुदा सड़क की आराजी स. 1803 के उत्तर दिशा मे बिलानाम आराजी सं. 1803 का ही खाली भू-भाग स्थित है। अर्थात प्रार्थीगण की आराजी के 1804 व 1805 तथा तरमीम शुदा सड़क के मध्य स्थित भू-भाग बिलानाम सरकारी भूमि आराजी से. 1803 का ही भू-भाग है तथा इसी शेष-भू-भाग से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजियात मे आवागमन करते है तथा प्रार्थीगण की आराजियात मे अवगमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नही है अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के आ.नं. 1804, 1805 मे आवागमन हेतु बिलानाम आराजी 1803 के राजस्व नक्शे मे तरमीम शुदा सड़क के उत्तर दिशा मे स्थित आ.नं. 1803 के ही शेष भू-भाग मे सलग्न नजरी नक्शे अनुसार 20 फीट चौड़ाई शस्ता रास्ते के रूप मे राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे दर्ज फरमाया जावे।

इस पर विपक्षी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड मे मूल आ.नं. 1803 मे कोई बिलानाम भूमि जमाबंदी मे दर्ज रेकार्ड नही है व आराजी नं. 1803 जमाबंदी मे गै० मु० सड़क के रूप मे दर्ज है तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम शुदा गै०मु० सड़क के उत्तर दिशा मे कुछ भू-भाग मौके व नक्शे मे खाली पड़ा हुआ है। तथा उक्त

सहायक कलक्टर
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खाली भू-भाग के राजस्व नक्शे मे कोई आ-नं अं नही है परन्तु उक्त खाली भू-भाग रास्ते के रूप ही काम मे लिया जा रहा है तथा यह खाली भू-भ आ-नं 1803 का ही भू-भाग है एवं राजस्व रेक मे आ. नं.1803 का कोई बटा नम्बर का कोई रकब अंकन करना शेष नही है साथ ही यह भी निवेद किया कि आ-नं 1803 मे तरमीमसुदा सड़क उत्तरी मेड़ की लाईन को क्रोस करने या विलोपित करने पर प्रकरण का निस्तारण संभव है। मैने उभयपक्षों की बहस सुनी, बहस पर मनन कि पत्रावली व पत्रावली के साथ सलग्न दस्तावेजों ऐ व तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तो जाहिर आया कि प्रार्थीगण की आराजिया 1804 व 1805 तथा बिलानाम सरकार गै० मु० सड़ से दर्ज आ-नं 1803 के मध्य स्थित भू-भाग को राजस्व नक्शे मे किसी भी नम्बर से दर्शित नही किया गया है तथा तहसीलदार मांडल की रिपोर्ट अनु व रेकार्ड के अनुसार मूल आ-नं 1803 के कोई नया नम्बर का कोई रकबा शेष नही है तथा आ० नं 1803 मे तरमीमसुदा सड़क के उत्तर दिशा मे स्थित खाली भू-भाग आ-नं 1803 गै० मु० सड़क ही भू है तथा यह शेष खाली भू-भाग वर्तमान मे प्रार्थीग द्वारा रास्ते के रूप मे ही काम मे लिया जा रहा है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं साथ ही चूंकि रा अभिलेख जमाबंदी मे आ-नं 1803 गै० मु० सड़ के रूप मे दर्ज है तथा उक्त आ-नं-1803 के राज नक्शे मे तरमीम सुदा सड़क की उत्तरी मेड़ को विलो ... आ० सं० 1803 के रकबे मे क

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार माण्डल को आदेशित किया जाता है कि ग्राम लुहारिया परवार हल्का लुहारिया तहसील मांडल में स्थित प्रार्थीगण के आराजी सं॰ 1804 व 1805 में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी सं॰ 1803 के राजस्व नक्शे में दर्शित तरमीम शुदा गे॰मु॰सड़क की उत्तरी दिशा में स्थित खाली भू॰ भाग का गे॰मु॰ सड़क में मिलाया जावे इस हेतु तरमीम शुदा गे॰मु॰ सड़क की उत्तरी मेड़ (लाईन) को राजस्व नक्शे में से विलोपित कर प्रार्थीगण की आराजी सं॰ 1804 व 1805 की दक्षिणी मेड़ तक गे॰मु॰सड़क के आ-म॰ 1803 नक्शे में पर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार मांडल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर
माण्डल जिला भीलवाड़ा